

2-2020 पत्रावली पेशा हुई वकील डिफ्रीडार उपस्थित  
प्रकरण में माजलीम न्यायालय राजस्व महल  
अजमेर के निर्णय दिनांक 25-7-18 द्वारा  
संबंधित घाद संख्या 11/98 एवं 13/98 को  
स्वीकार करते हुए भू-प्रबंध अधिकारी एवं  
पेदा राजस्व अधिकारी कोश का निर्णय  
दिनांक 27-7-2005 तथा सहभाक कलेंकर  
मांगरोल का निर्णय दिनांक 5-10-2009 निरस्त  
किये गये हैं।

वकील डिफ्रीडार द्वारा रेकार्ड की पूर्व  
स्थिति बहाल करने हेतु इजराय पेशा की  
है जो प्रक्रिया अक्षुण्ण उचित नहीं है रेकार्ड  
की पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु पूर्व के  
स्वातेदारान की ओर से 144 CPC का  
प्रार्थना-पत्र पेश करना चाहिए था।  
ऐसी स्थिति में दस्तगत इजराय इसी  
स्टेज पर होप की जाती है डिफ्रीडार  
144 CPC का प्रार्थना-पत्र पेश करने हेतु  
स्वतंत्र है पत्रावली फाइल शुमार लेकर  
नम्बर से काम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-12-2020 को खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

  
उप सज्ज अधिकारी  
मांगरोल जिला बारी (राज०)

